

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 155/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड, शाखा कार्यालय : सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर्स स्कूल के
सामने, सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. स्वर्गीय सुश्री वर्षा दास पुत्री स्वर्गीय श्री जालेश्वर दास,
कानूनी वारिस :-
2. श्रीमती गीता दास माता स्वर्गीय सुश्री वर्षा दास,
पता : पशु आहार संयंत्र कॉलोनी, लालगढ रेल क्रासिंग के पास, आर.सी.डी. एफ क्वार्टर,
लालगढ, बीकानेर।
एवं प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय फ्लोर, प्लॉट नम्बर सी-17-सी, रामनगरिया साउथ, ग्राम
श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री विनित शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 27.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.12.2018 व 26.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सुश्री वर्षा दास पुत्री स्वर्गीय श्री जालेश्वर दास के विधिक वारिसान श्रीमती गीता दास (माता) के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय फ्लोर, प्लॉट नम्बर सी-17-सी, रामनगरिया साउथ, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 555 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 14,34,698/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28-09-2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

450
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 14,34,698/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 20,18,695/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुश्री वर्षा दास पुत्री स्वर्गीय श्री जालेश्वर दास के विधिक वारिसान श्रीमती गीता दास (माता) के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय फ्लोर, प्लॉट नम्बर सी-17-सी, रामनगरिया साउथ, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 555 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर हो।



6. आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५१०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर